प्रेस विज्ञप्ति

16.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने असम के कामरूप (एम) की तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) सुश्री सुकन्या बोरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 7.33 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने असम के मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ के पीएस सतर्कता द्वारा सुश्री सुकन्या बोरा के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। असम के सीएम के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा दायर आरोपपत्र में खुलासा किया गया कि 01.03.2017 से 28.02.2023 तक की जांच अवधि के दौरान उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक, 8.14 करोड़ रुपये की संपत्ति थी।

ईडी द्वारा की गई वित्तीय जांच से पता चला है कि सुश्री सुकन्या बोरा और उनके माता-पिता के बैंक खातों में 98.66 लाख रुपये (लगभग) नकद जमा किए गए थे, जिसके बराबर सम्बंधित कोई आय नहीं थी । उसने अपने माता-पिता और करीबी रिश्तेदार के नाम पर जमीन के रूप में 3 संपत्तियां खरीदीं, जिसमें बैंक खातों में अपराध की आय (पीओसी) से प्राप्त भुगतानों के अलावा 3.25 करोड़ रुपये की नकद राशि का भुगतान किया गया। इस मामले में पीओसी स्तरित था, जिसमें करीबी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई संपत्ति बिना किसी संगत प्रतिफल के उसके पिता को हस्तांतरित कर दी गई थी और एक संपत्ति उसके पिता ने उपहार विलेख के माध्यम से उसे हस्तांतरित कर दी थी। उपरोक्त के अलावा, उसके बैंक खाते में 65.54 लाख रुपये (लगभग) पाए गए।

आगे की जांच जारी है।